

## पेयजल - मानक

## पेयजल के जाँच के अवयव

क्रम सं	तत्व या गुण	आवश्यकता (आदर्श सीमा)	किसी अन्य स्रोत की अनुपस्थिति में मान्य सीमाएँ
आवश्यक अवयव			
1.	रंग (धुँधलापन इकाई), अधिकतम	5	25
2.	गंध	कोई आपत्ति नहीं	..
3.	स्वाद	सहमत	..
4.	गंदलापन (एनटीयू), अधिकतम	5	10
5.	पीएच वैल्यू	6.5 - 8.5	कोई राहत नहीं
6.	कुल कठोरता (जैसे $\text{CaCO}_3$ ) मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	300	600
7.	आयरन (जैसे $\text{Fe}$ एफई), मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.3	1.0
8.	क्लोराइड्स मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	250	1000
9.	रेसिड्यू, फ्री क्लोरिन, मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.2	..
10.	फ्लोराइड मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	1.0	1.5
आदर्श अवयव			
11.	डिजोल्मड सॉलिड्स मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	500	2000
12.	कैल्सियम मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	75	200
13.	मैग्नेशियम मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	30	100
14.	कॉपर मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.05	1.5
15.	मैगनीज मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.10	0.3
16.	सल्फेट मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	200	400
17.	नाइट्रेट मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	45	कोई राहत नहीं
18.	फेनोलिक कंपाउण्ड्स मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.001	0.002
19.	मरकरी मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.001	कोई राहत नहीं
20.	कैडमियम, मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.01	कोई राहत नहीं
21.	सेलेनियम मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.01	कोई राहत नहीं
22.	आर्सेनिक मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.01	कोई राहत नहीं
23.	साइनाईड मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.05	कोई राहत नहीं
24.	लेड (शीशा) मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.05	कोई राहत नहीं
25.	ज़िंक मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	5	15
26.	एनिऑनिक डिर्टजेंट्स मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.2	1.0
27.	ब्रोमियम मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.05	कोई राहत नहीं
28.	पौली न्यूक्लियर एरौमैटिक हाइड्रोकार्बनस् ग्रा./लाख, अधिकतम	..	..
29.	मिनरल ऑयल मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.01	0.03
30.	पेस्टिसाइड्स मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	नदारद	0.001
31.	रेडियोएक्टिव मैटेरियल 1. अल्फा एमिटरस् बि.क्यू./लाख, अधिकतम 2. बीटा एमिटरस् पि.सी.आई./लाख, अधिकतम	.. ..	0.1 1.0
32.	एल्कनिटी (क्षारीयता) मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	200	600
33.	एल्यूमिनियम मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	0.03	0.2
34.	बेरोन मि.ग्रा./लाख, अधिकतम	1	5

पेयजल – मानक.....(आगे)  
बैक्टोरियल जाँच

जल वितरण प्रणाली में पानी

आदर्श रूप से वितरण प्रणाली से लिया गया प्रत्येक नमूना, जिसमें उपभोक्ताओं के परिसर से लिया गया नमूना भी सम्मिलित है, को कॉलिफार्म जीवाणुओं से मुक्त होनी चाहिये। वास्तव में, ये हमेशा संभव नहीं होता, अतः वितरण प्रणाली से लिये गये प्रत्येक नमूने में आईएस 1622:1981 पर आधारित जाँच के निम्न मानकों को माना जाता है।

- 1) किसी भी साल में 100 मि.ली. के 95 प्रतिशत नमूने में कोई कॉलिफार्म जीवाणु नहीं रहने चाहिये।
- 2) किसी भी 100 मि.ली. के नमूने में कोई ई-कॉली जीवाणु नहीं रहने चाहिये।
- 3) किसी भी 100 मि.ली. के नमूने में 10 कॉलिफार्म जीवाणु से ज्यादा नहीं रहने चाहिये, और
- 4) किसी भी 100 मि.ली. के 2 लगातार के नमूनों में कॉलिफार्म जीवाणु नहीं पाये जाने चाहिये।

स्रोत: भारतीय पेयजल मानक – निर्धारित (प्रथम पुनरीक्षण) आईएस-10500:1991, बीआईएस, नई दिल्ली, भारत